संख्या-2/2016/एस-130/दस-2016-88क(30)/2015

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2 लखनऊः: दिनांक :: 21 जनवरी, 2016

विषय- स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन किये जाने विषयक।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि स्थानान्तरण आदेश होने के बावजूद उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के कतिपय अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित न कर स्थानान्तरित पद पर योगदान नहीं किया जाता है और उसके द्वारा अपने पूर्व पद ही कार्य किया जाता है, साथ ही स्थानान्तरण रोकने संबंधी प्रत्यावेदन स्वयं अथवा अन्य विभिन्न माध्यमों से शासन को प्रेषित कर दबाव डालने का प्रयास किया जाता है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है और सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-27 का स्पष्ट उल्लंघन है।

2- यह भी उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले स्थानान्तरण आदेशों में यह स्पष्ट निर्देश अंकित रहते हैं कि स्थानान्तरित अधिकारी का जो भी अगले माह का वेतन होगा, व उनकी पूर्व तैनाती के स्थान से आहरित नहीं होगा, किन्तु उक्त निर्देशों का भी पूर्ण अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थानान्तरण आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित न कर स्थानान्तरित पद पर योगदान नहीं करने वाले अधिकारियों तथा ऐसे अधिकारियों का पूर्व पद/स्थान के सापेक्ष वेतन भुगतान करने वाले कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, के उक्त कृत्य को गंभीर कदाचार की श्रेणी में मानते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

पत्रांक-2/2016-एस-2-130(1)/दस-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि- सर्व संबंधित को निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(सुधेश कुमार ओझा)
विशेष सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in